न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलताचौहान आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः— 02/2020

प्रार्थीः—

शंकरलाल पुत्र मोडाराम जाति सुथार निवासी कांखी

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1 कानाराम पुत्र बाबराराम जाति रबारी निवासी कांखी
2 भीमाराम पुत्र चमनाजी जाति सुथार निवासी कांखी
3 हंजाराम पुत्र खेताराम जाति सुथार निवासी कांखी
4 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पादरू
5 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :— **1. श्री किशोरलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**
2. विप्रार्थीगण इकबाली जबाब

—: आदेश :—

दिनांक :—15.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 462/280 रकबा 8.0694 हैक्टयर किस्म धोरा सरहद मौजा कांखी पटवार क्षेत्र पंऊ में आई हुई है। जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बदिशा पश्चिम दिशा में स्थित विप्रार्थीगण की खातेदारी की खेत खसरा संख्या 275,277,463/280 मे से होते हुऐ कांखी से सायला तक जाता है जिसको सुस्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" पेश किया है प्रार्थी के खेत से सडक मार्ग तक आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खेत की पश्चिमी माठ पर अवस्थित प्रचलित रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थी ने अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण उक्त प्रचलित रास्ते की भूमि पर काश्त कर बाड बनाकर रास्ता अवरूद्व कर देता है। जिससे प्रार्थी के आने—जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

जरिये नोटिस तलब किया गया । मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी की गई।

पेशी दिनांक 29.01.2020 को विप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका 14.08.2020 जरिये पत्रांक राजस्व/2020/885 दिनांक 23.10.2020 को प्रेषित जो शामिल पत्रावली की गई । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 275,277,463/280 में आवगमन हेतु चाहा रास्ता एक मात्र नजदीकी रास्ता बताया गया । मौका फर्द पर पक्षकरान द्वारा बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई ।

हमने प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने निवेदन किया विप्रार्थीगण द्वारा श्री न्यायालय में हाजिर होकर उक्त रास्ता घोषित करने बाबत सहमति जाहिर कर राजीनामा प्रस्तुत कर बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को घोषित करवाने हेतु सहमति दी है। जो तस्दीक सुदा है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार सिवाना का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया । प्रार्थी के अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए एंव विप्रार्थीगण के सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा संख्या 463/280 सरहद मौजा कांखी पटवार मण्डल पंऊ में कृषि कार्य के लिये आवगमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 275,277,463/280 में से 13 फीट (2गटठा) चौडा रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बरंग लाल 13 फीट (2गटठा) चौडा रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थी को प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुसार होगा।

उक्त नया 13 फीट के रास्ता में समाहित होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृत निर्वापित की हुई समझी जायगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज 13 फीट चौडे भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकारी अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2020/885 दिनांक 23.10.2020 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जरिये राजीनामा बिना प्रतिफल के विप्रार्थीगण देने हेतु तैयार है इसलिए विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में घोषित भूमि के एवज में किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 15.01.2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:41 IST
Reason: SelfAttested